न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या–14/2019

श्री भवानी सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देवलियाकलां, तहसील भिनाय, जिला अजमेर

............अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, देवलियाकलां

........रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——————

उपस्थित :– 1– श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–15.01.2021

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2072 में श्री भवानी सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देवलियाकलां, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ने ग्राम देवलियाकलां के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 3359 रकबा 2.44 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से ज्वार व उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार देवलियाकलां के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 25/2015 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 14.08.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम की जाकर 500 रूपये प्रति बीघा की दर से राशि राजकोष में जमा कराने पर फसल अपीलान्ट को सुपुर्द करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 14.08.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

अपर कलक्टर,
अजमेर

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 11.05.2015 की पालना में आक्षेपीय आदेश पारित किया है किन्तु इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही किया कि उक्त आदेश इस न्यायालय के दिनांक 25.10.2010 के अंतरिम आदेश के विरूद्ध पारित किया गया है। उनका आगे कथन है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2017 से अपीलान्ट की मूल अपील स्वीकार कर तहसीलदार भिनाय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की गई थी कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा सीलिंग अधिनियम के तहत निर्णित प्रकरणों एवं उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष विचाराधीन नियमित वाद के परिपेक्ष्य में पूर्ण जांच कर अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश का अवलोकन किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार श्री देवीसिंह थे। विवादित भूमि उनकी पर्सनल प्रोपर्टी है एवं राजस्व रेकॉर्ड में भी पर्सनल प्रोपर्टी दर्ज है। विवादित भूमि अपीलान्ट द्वारा श्री देवीसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 30.05.1970 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है व अपीलान्ट के विरूद्ध आंदिनांक तक कोई सीलिंग कार्यवाही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को ध्यान में नहीं रखा कि पर्सनल प्रोपर्टी पर कृषि भूमि के सीलिंग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं गलत तौर पर अपीलान्ट की क्रयशुदा आराजी को सीलिंग में अधिग्रहण होना मानकर भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है जबकि अपीलान्ट अपनी क्रयशुदा भूमि पर वरवक्त खरीद से लगातार काबिज चला आ रहा है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि विवादित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध सीलिंग एक्ट के नये व पुराने अधिनियमों के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यवाही की गई है जबकि नियमानुसार किसी भी एक अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी, केकड़ी ने सीलिंग प्रकरण संख्या 18/75 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.1976 में अपीलान्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि को सीलिंग कानून में निर्धारित तिथि दिनांक 26.09.1970 से पूर्व का हस्तांतरण मानकर मान्यता प्रदान की थी जिसे राजस्व मण्डल राज0, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2010 से यथावत रखा। विवादित आराजी बाबत एक नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष विचाराधीन होकर दिनांक 24.02.2007 से राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश की अवमानना कर अपीलान्ट की बेदखली के आदेश प्रदान किये हैं। अन्त में उन्होने कथन किया कि राजनीतिक द्वेषतावश पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी ठोस साक्ष्य व सबूत के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से पेटेन्ट इल्लीगल

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

निर्णय की परिभाषा में आता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर फसल काश्त की है। विवादित आराजी राजस्व रेकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है एवं अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं आदेश पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी बाबत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2017 से अपीलान्ट की अपील तहसीलदार भिनाय को प्रेतिप्रेषित की गई थी। यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 30.05.1970 से भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार श्री देवीसिंह से बहुमूल्य प्रतिफल अदा कर क्रय की गई है। स्वयं उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी, केकड़ी द्वारा उक्त विक्रय पत्र को सीलिंग कानून में निर्धारित तिथि दिनांक 26.09.1970 से पूर्व का हस्तांतरण मानते हुए उक्त हस्तांतरण को मान्यता दी है एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 08.03.2010 से उक्त आदेश को यथावत रखा है। अपीलान्ट द्वारा एक नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन होकर दिनांक 24.02.2007 से विवादित आराजी के राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2017 की पालना में अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाकर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर अपील नायब तहसीलदार, देवलियाकलां को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 का भली भांति अवलोकन करें एवं अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत आदेश पारित करें। अपीलान्ट को तब तक विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया जावे।

आदेश आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर